



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31052022-236161
CG-DL-E-31052022-236161

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2366]
No. 2366]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 31, 2022/ज्येष्ठ 10, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 31, 2022/JYAISHTHA 10, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2022

सं. 47/2022-सीमाशुल्क (गै.टे.)

का.आ. 2493(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 51क की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड ने संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा, सभी वर्गों के व्यक्तियों और सामानों की सभी श्रेणियों से संबंधित जमा, को उक्त धारा 51 के सभी उपबंधों से छूट देता है।

2. यह अधिसूचना 1 जून, 2022 से प्रभावी होगी और 29 नवम्बर, 2022 तक लागू रहेगी।

[फा. सं. 442/02/2017-सीमाशुल्क IV(पार्ट)]

अनंत राधाकृष्णन, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st May, 2022

No. 47/2022-Customs (N.T.)

S.O. 2493(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 51A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs on being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby exempts the deposits pertaining to all classes of persons and all categories of goods, from the provisions of the said section 51A.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st June, 2022 and shall be effective upto the 29th of November 2022.

[F. No. 442/02/2017-Cus IV(Pt)]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy.